## Report on Days Celebrated/Observed during the Month of July -2026 by UKSLSA/DLSAs

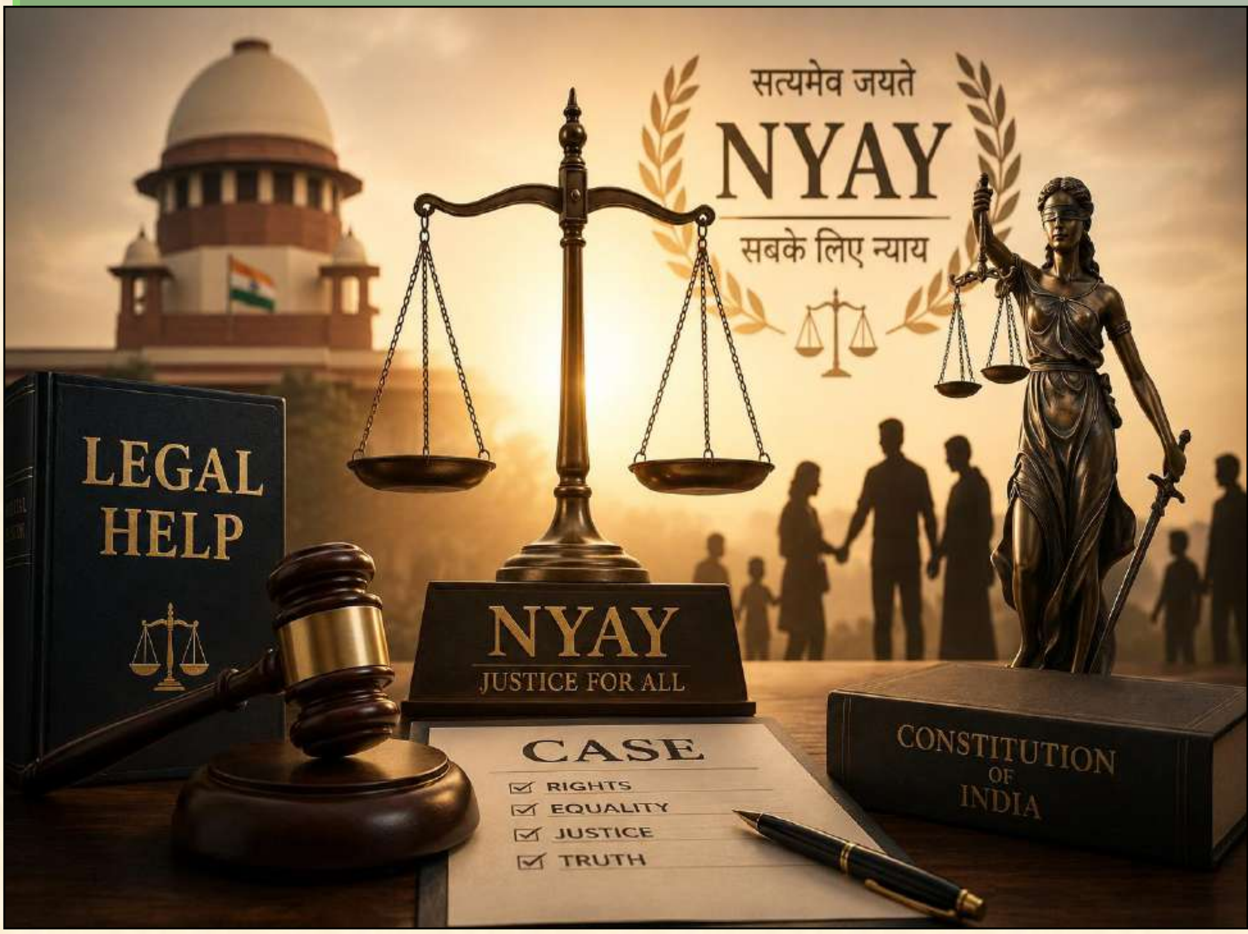


## UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

**High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax: 05942-236552, e-mail: slsa-uk@nic.in,**
**Website**: https://uttarakhand.nalsa.gov.in
**Portal For Free Legal Aid**: https://nyaymitraslsa.uk.gov.in
**Toll Free No**:-**UKSLSA**-18001804000, **NALSA**-15100

# INDEX


| S.N | Particulars | Page No. |
|---|---|---|
| **1** | **Plantation Drive (1/July/2026 to 31/July/2026)** | **3-16** |
| 1.1 | Van Mahotsav week | 3-7 |
| 1.2 | "SELA" Parv | 8-10 |
| 1.3 | "Harela" Parv | 11-15 |
| 1.4 | Statistical Information | 16 |
| **2** | **World Population Day** | **17-22** |
| 2.1 | Introduction | 17-18 |
| 2.2 | Statistical Information | 19 |
| 2.3 | Picture Gallery | 20-22 |
| **3** | **World Youth Skill Day** | **23-28** |
| 3.1 | Introduction | 23-24 |
| 3.2 | Statistical Information | 25 |
| 3.3 | Picture Gallery | 26-28 |
| **4** | **Sukhatal Cleanliness Drive** | **29-31** |
| **5** | **Kargil Vijay Diwas** | **32-37** |
| 5.1 | Introduction | 32-33 |
| 5.2 | Statistical Information | 34 |
| 5.3 | Picture Gallery | 35-37 |
| **6** | **World Day Against Trafficking on Persons** | **38-45** |
| 6.1 | Introduction | 38-39 |
| 6.2 | Statistical Information | 40 |
| 6.3 | Picture Gallery | 41-45 |
| **7** | **Miscellaneous Programmes & Activities** | **46** |

In compliance with the directions issued by the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital the District Legal Services Authorities (DLSAs), organized a series of **Plantation Drives and Legal Awareness Camps(1st July, 2026 to 31st July, 2026)** including **Van Mahotsav Week (1st July, 2026 to 7th July, 2026)**.

Under the guidance of the Secretaries (DLSAs), all **Para Legal Volunteers (PLVs), Pro Bono Volunteers,** organized plantation drives and legal awareness camps throughout the district. The activities were conducted in **villages, schools and other public places**, encouraging citizens to actively participate in tree plantation and environmental protection.

The legal awareness sessions highlighted the constitutional duty of every citizen to protect and improve the natural environment and

emphasized the role of legal aid institutions in promoting environmental justice.

During the awareness programmes, participants were sensitized about the importance of:

- Increasing green cover through tree plantation.
- Preventing indiscriminate cutting of trees.
- Conserving forests and protecting biodiversity.
- Maintaining ecological balance for sustainable development.
- Promoting community participation in environmental conservation.

(पृष्ठ संख्या–2) दिनांक 13.07.2026

वन महोत्सव (सप्ताह) का शुभारंभ

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्री नरेंद्र दत्त जी ने परिसर में पौधा रोपकर किया शुभारंभ

कहन सुनन

हरिद्वार–उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार 1 जुलाई से चलाए जा रहे वन महोत्सव (सप्ताह) का आगाज माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्री नरेंद्र दत्त महोदय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोशनाबाद के परिसर में विधिवत रूप से पौधा लगाकर वन महोत्सव सप्ताह का गरिमामय शुभारंभ किया गया तथा अपने संदेश में कहा कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है, पौधों को संरक्षित रखने के लिए हम सब का महत्वपूर्ण दायित्व है इसी महाअभियान में अपनी सहभागिता दर्ज कराए। स्थायी लोक अदालत हरिद्वार की माननीय अध्यक्ष श्रीमती नीतू जोशी (न्यायाधीश) द्वारा भी परिसर में पौधरोपण किया गया और पर्यावरण को हरा–भरा बनाए रखने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर द्वारा जिला कारागार हरिद्वार में पौधरोपण कर इस अभियान में सहभागिता दर्ज करायी, इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिप्टी एलएडीसी रमन कुमार सैनी, रजिया अख्तर, ए एल ए डीसी, के अलावा अनेकों एल.ए.डी.सी. अधिवक्तागण एवं समस्त स्टाफ व लॉ इंटर्न्स उपस्थित रहे।

दूसरी ओर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर महोदय द्वारा कनखल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल स्टोरों का जिला स्वास्थ्य विभाग व जिला औषधि निरीक्षक की टीम के साथ औचक निरीक्षण किया तथा इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्टोरों पर पाए गए अनियमितताओं व दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया जिसमें खामियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये।

The participants were also informed about important environmental laws, including:

वन महोत्सव सप्ताह: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और वन विभाग ने किया वृक्षारोपण

शाह टाइम्स संवाददाता

नैनीताल। वन महोत्सव सप्ताह के तहत बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नारायण नगर–चारखेत क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने का संदेश दिया गया। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम का संचालन सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पारुल थपलियाल की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन कार्की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पंकज प्रसाद, यशवंत कुमार, अंबिका सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वन विभाग की ओर से वन दारोगा संतोष गिरी, संतोष जोशी, हरीश चंद्र तथा वन आरक्षी राजेंद्र वर्मा, नारायण चंद्र, मनोज शाही, नंदन सिंह, धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार और दीप चंद्र शामिल रहे।

- **Environment (Protection) Act, 1986**.
- **Forest (Conservation) Act, 1980.**
- **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974**.
- **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.**

The Month-long campaign successfully combined **environmental conservation with legal literacy**, motivating citizens to plant more trees, safeguard natural resources and become aware of environmental laws and their responsibilities towards nature.

## "Van Mahotsav Week" (01 July-07 July 2026)

**ALMORA**

**BAGESHWAR**

**CHAMOLI**

**CHAMPAWAT**

**DEHRADUN**

**HARIDWAR**

**NAINITAL**

**PAURI GARHWAL**

**PITHORAGARH**

**RUDRAPRAYAG**

**TEHRI GARHWAL**

**UDHAM SINGH NAGAR**

**UTTARKASHI**

# वन महोत्सव सप्ताह का समापन

## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

**रुद्रप्रयाग।** उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश के मार्ग दर्शन में वन महोत्सव सप्ताह के समापन अवसर पर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग ने वन विभाग के सहयोग से वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय भाणधार के समीप व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह ने किया।

इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरित उत्तराखण्ड के निर्माण के उद्देश्य से बांज, कचनार एवं भीमल जैसी स्थानीय प्रजातियों के साथ-साथ आँवला, अनार और नाशपाती के फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि हिमालयी क्षेत्रों में बांज जल स्रोतों के संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, मृदा में नमी बनाए रखने तथा भू-क्षरण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं भीमल अपनी मजबूत जड़ प्रणाली के कारण पर्वतीय ढलानों को स्थिरता प्रदान कर भूस्खलन की आशंका कम करता है। कचनार जैव विविधता के संरक्षण, परागण करने वाले जीवों के संवर्धन तथा प्राकृतिक हरित आवरण को समृद्ध करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त आँवला, अनार और नाशपाती जैसे फलदार वृक्ष पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ पक्षियों एवं वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक खाद्य स्रोत उपलब्ध कराते हैं। इन प्रजातियों का रोपण स्वच्छ पर्यावरण, जल संरक्षण, कार्बन अवशोषण तथा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

पौधारोपण अभियान में वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ताओं, पैरालीगल वालंटियर्स (पीएलवी) तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने लगाए गए पौधों के संरक्षण, नियमित देखभाल एवं संवर्धन का सामूहिक संकल्प लिया, ताकि यह अभियान भविष्य में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन तथा हरित एवं स्वच्छ उत्तराखण्ड के निर्माण में सार्थक योगदान दे सके।

---

**देश जनहित**

## वन महोत्सव: जिला न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने किया पौधरोपण

### मेडिकल स्टोरों का भी औचक निरीक्षण

रिपोर्ट अनिल कश्यप

रुड़की/हरिद्वार (देश जनहित)। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से चल रहे 'वन महोत्सव' अभियान के तहत शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के रोशनाबाद परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र दत्त ने पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ पौधों का संरक्षण भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष नीतू जोशी ने भी पौधरोपण किया, जबकि सचिव सिमरनजीत कौर ने जिला कारागार में पौधे लगाए। इस दौरान अधिवक्ता, स्टाफ और लॉ इंटर्न्स मौजूद रहे। इसके बाद सचिव सिमरनजीत कौर ने जिला स्वास्थ्य विभाग और औषधि निरीक्षक की टीम के साथ कनखल क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। जांच में कुछ स्थानों पर अनियमितताएं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता का संदेश दिया गया।

देव टिब्बा अभियान में उत्तराखंड

---

# फलदार पौधों का रोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

संवाद सहयोगी, जागरण • रुद्रप्रयाग : हरेला पर्व के अवसर पर जैबीरी-ऊखीमठ एवं जिला न्यायालय परिसर में छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण कर हरित उत्तराखंड के संकल्प को मजबूत किया गया।

ऊखीमठ में पौधारोपण कर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि हरेला केवल एक पारंपरिक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का जीवंत उत्सव है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य भारत भूषण भट्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष कुब्जा धर्मवान, प्रभारी सतीश लखेड़ा, ज्येष्ठ प्रमुख राकेश नेगी, कनिष्ठ प्रमुख प्रदीप त्रिवेदी, जिला उद्यान अधिकारी राजेश जसोला, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

वहीं, जिला न्यायालय परिसर में जिला न्यायाधीश नीना अग्रवाल ने फलदार व छायादार पौधों का रोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। न्यायालय परिसर और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में बांज, नीम, आंवला और जामुन जैसी पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) पायल सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अमित कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ कुमार और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विकास कुमार उपस्थित थे।

---

# जखोली रेंज में किया पौधरोपण

पौधरोपण के बाद पानी देतीं विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव। स्रोत वन विभाग

रुद्रप्रयाग। वन महोत्सव सप्ताह के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और वन विभाग ने दक्षिणी जखोली रेंज में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह ने किया। प्रतिभागियों ने पौधों के संरक्षण और नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और हरित उत्तराखंड के निर्माण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता, पैरालीगल वालंटियर्स, वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी व स्थानीय लोगों ने भी पौधरोपण में भाग लिया। संवाद

---

## वन महोत्सव सप्ताह के तहत नारायण नगर में हुआ पौधरोपण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के क्रम में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत जिला मुख्यालय से सटे नारायण नगर के चार खेत क्षेत्र में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

> आप यह भी पढ़ना चाहेंगे : नैनीताल में अतिरिक्त विशेष पॉक्सो न्यायालय का गठन, प्रतिभा सम्मान, निरंजनी अखाड़ा की पीठाधीश्वर पहुंचीं, पूर्व विभागाध्यक्ष के निधन पर शोक, शौचालयों की स्थिति सुधारने की मांग, सुखाताल झील की बदहाली पर नाराजगी व सेवानिवृत्ति पर विदाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पारुल थपलियाल के नेतृत्व में वन विभाग के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में पदम, त्रिलोच, पांगर, पुतली तथा बाँज सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन कार्की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पंकज प्रसाद, यशवंत कुमार एवं अंबिका ने भी पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में वन दरोगा संतोष गिरी, संतोष जोशी, हरीश चंद्र, वन आरक्षी राजेंद्र वर्मा, नारायण चंद्र, मनोज शाही, नंदन सिंह, धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार एवं दीप चंद्र सहित वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

## “<u>SELA PARV</u>” BY GUJJAR COMMUNITY

**“Sela Parv”** is a traditional festival celebrated by the **Gujjar community** in Uttarakhand. The festival symbolizes the community's deep connection with **nature, forests, livestock and sustainable living**. On this occasion, Gujjar families express gratitude to nature for providing them with livelihood and pray for the well-being of their cattle, prosperity and environmental balance. The festival also reflects the values of harmony, conservation of natural resources and preservation of cultural heritage.

In compliance with the **Monthly Plan of Action of Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA), Nainital**, the District Legal Services Authorities (DLSAs) across the State celebrated the traditional **Sela Festival** of the Gujjar community by organizing **Tree Plantation Drives** at various locations.

सबसे तेज प्रधान टाइम्स

वन गुर्जर बस्तियों में पौधारोपण कर मनाया सेला पर्व

सचिन आर्य

हरिद्वार/मंगलौर (सबसे तेज प्रधान टाइम्स)। 23.07.2026 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार नरेन्द्र दत्त जी के आदेशानुसार वन गुज्जर बस्ती तपड़ोवाली तारबाड़ गुज्जर खत्ता एवं गुजराडा गैंडीखाता निकट चिड़ियापुर रेंज श्यामपुर में पौधारोपण कर सेला पर्व मनाया गया। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सचिव/सिविल जज (एस0डी0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्रीमति सिमरनजीत कौर रही, जिनके द्वारा गुज्जर बस्तीयो के सदस्यों के साथ पौधारोपण कर सेला पर्व मनाया गया व इसके साथ ही बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह थी की गुज्जर बस्तीयो की समस्या हेतु सहायक समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, ब्लॉक बहादराबाद, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्यगण व वन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहें तथा वन गुज्जर उज्जवल युवा संगठन के विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनकी समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी तथा उनके ज्ञापन व आवेदनों पर कार्यवाही हेतु सम्बंधित को पत्र प्रेषण का आश्वासन दिया गया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों व निःशुल्क मिलने वाली विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करायी गयी, इसके साथ ही श्री राम आश्रम श्यामपुर में स्थापित बाल गृह व थाना श्यामपुर में स्थापित विधिक सहायता केन्द्र का निरिक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा सम्बन्धित अधिकार मित्र को उचित दिशानिर्देश भी दिये गये। आज के इस कार्यक्रम में गैंडीखाता, तपड़ोवाली तारबाड़ गुज्जर खत्ता एवं गुजराडा गैंडीखाता निकट चिड़ियापुर रेंज श्यामपुर की अनेक वन गुज्जर वन बस्तीयों के भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे व समाज कल्याण विभाग से उप जिला समाज कल्याण अधिकारी ममता जी, तथा जिला बाल कल्याण समिति के सदस्यगण वन विभाग के कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लॉ इन्टर्नस भी उपस्थित रहे।

The programme aimed to promote **environmental conservation, afforestation and sustainable development** while recognizing the cultural significance of the festival. Judicial officers, Panel Lawyers, Retainer Lawyers, Para Legal Volunteers (PLVs), Forest Department officials, members of the Gujjar community, students and local residents actively participated in the plantation drive.

The event highlighted the harmonious relationship between the Gujjar community and nature and reinforced the message that environmental protection is a collective responsibility. The plantation drive concluded with a commitment by all participants to contribute towards a cleaner, greener and more sustainable Uttarakhand.

# स्पष्ट एक्सप्रेस

## वन गुज्जर समुदाय के साथ सेला पर्व मनाकर विधिक जागरूकता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

**Key Highlights:**

- Celebration of the traditional **Sela Festival** of the Gujjar community.
- Tree plantation drives organized by DLSAs across Uttarakhand.
- Awareness on environmental conservation and biodiversity.
- Participation of legal services functionaries, Forest Department officials, students, PLVs and local residents.
- Pledge to protect planted saplings and promote sustainable environmental practices.

## सेला पर्व पर वन गुर्जरों के बीच पहुंचा डीएलएसए

माई सिटी रिपोर्टर

देहरादून। सेला पर्व के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) देहरादून की टीम वन क्षेत्र में निवासरत वन गुर्जर समुदाय के बीच पहुंची। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीमा डुंगराकोटी ने समुदाय के लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान कराने का आश्वासन दिया।

प्राधिकरण के आग्रह पर कार्यक्रम में प्रशासनिक और वन विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया। वन गुर्जर समुदाय के लोगों ने आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में

### समुदाय की समस्याएं सुनीं और किया पौधरोपण

सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने की समस्या अधिकारियों के सामने रखी। इस पर संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न प्रजातियों के पौधे और ट्री-गार्ड उपलब्ध कराए गए। सचिव सीमा डुंगराकोटी ने वन गुर्जर समुदाय को सेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकृति के प्रति उनका समर्पण और वृक्षारोपण के प्रति प्रतिबद्धता पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। इस अवसर पर ग्रामसभा के प्रतिनिधियों को सोलर लैंप और छाते वितरित किए गए, जबकि बच्चों को स्टेशनरी किट और रिफ्रेशमेंट देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य केवल निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वंचित और दूरस्थ वर्ग तक न्याय, अधिकारों की जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सेतु की भूमिका निभाना भी है। उन्होंने कहा कि वन गुर्जर समुदाय प्रकृति के सच्चे संरक्षक हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

## वन गुज्जर समुदाय के साथ सेला पर्व मनाकर विधिक जागरूकता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन

धारा न्यूज, ज्योति डोभाल, टिहरी

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल नितिन शर्मा के आदेशानुपालन में सिविल जज (सी०डि०)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल दयाराम के तत्वावधान में शिवपुरी, टिहरी गढ़वाल में वन गुज्जर समुदाय के साथ पारंपरिक सेला पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वन गुज्जर समुदाय के साथ संवाद स्थापित करते हुए उन्हें विभिन्न विधिक अधिकारों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करना था।

कार्यक्रम के दौरान सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल द्वारा उपस्थित वन गुज्जर समुदाय को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर योजना, वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा अन्य विधिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है तथा किसी भी विधिक समस्या के समाधान हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।

इसके उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां द्वारा भी वन गुज्जर समुदाय को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, राहवीर योजना, हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी तथा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही समुदाय के सदस्यों को किसी भी प्रकार की विधिक समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क सहायता का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया।

बरेली । बुधवार । 22 जुलाई 2026 जनमोर्चा 06

## छात्राओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरुक किया

दैनिक जनमोर्चा/आशुतोष कोठला

## सेला पर्व पर गुर्जर बस्ती में जागरूकता शिविर

रुद्रपुर। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश सिकंदर कुमार त्यागी के निर्देशन में 19 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित होने वाले सेला पर्व के अंतर्गत प्रथम दिवस जागरूकता शिविर हल्दू जहू खत्ता गुर्जर बस्ती में आयोजित किया गया। शिविर में गुर्जर बस्ती के निवासियों को बच्चों की शिक्षा, विद्यालय में नामांकन, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल अधिकारों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता एवं अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मूसलाधार बारिश के बीच शिविर के दौरान गुर्जर बस्ती के स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करना तथा विधिक अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना है। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती ममता पंत, मुख्यन्यायिक मजिस्ट्रेट जगेंद्र सिंह, सिविलजज (सीनियर डिवीजन) श्रीमती गुंजन सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हेमंत राणा, ऋतिका सेमवाल, श्रीमती इंदु शर्मा, विवेक राणा, सुश्री नेहा, प्रतीक, रविन्द्र मिश्रा सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

TDU
सेला पर्व

सेलापर्व

सेला पर्व-2026
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

# "HARELA" FESTIVAL

**Harela** is one of the most important traditional festival of **Uttarakhand**, celebrated to mark the **arrival of the monsoon season**, the beginning of the agricultural cycle and the deep cultural bond between people and nature.

### Why is Harela Celebrated?

- **Welcoming the Monsoon:** Harela marks the onset of the rainy season, which is crucial for agriculture in the Himalayan region.
- **Symbol of Prosperity:** The festival
- is celebrated to pray for a good harvest, prosperity, happiness and the well-being of families.
- **Environmental Conservation:** It promotes tree plantation, afforestation and the protection of forests, encouraging people to plant and nurture saplings.

सबसे तेज प्रधान टाइम्स

जनपद न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में पौधा रोपकर किया वन महोत्सव का शुभारंभ

- **Respect for Nature:** Harela reflects Uttarakhand's rich tradition of living in harmony with nature and emphasizes the conservation of biodiversity and natural resources.
- **Religious Significance:** The festival is associated with Lord Shiva and Goddess Parvati. Devotees worship them and pray for peace, prosperity, and environmental balance.
- **Community Participation:** Schools, government departments, local bodies, NGOs and community organizations organize plantation drives and awareness programmes to spread the message of environmental protection.

The campaign highlighted the importance of community participation in combating climate change. Students, youth and local residents were motivated to adopt the principle of **"Plant a Tree, Protect a Tree"**, recognizing that planting saplings is only the first step and that their proper care and preservation are equally important.

दैनिक शौर्य गाथा | उत्तरकाशी | 2

हरेला महोत्सव पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने श्याम वन में किया वृक्षारोपण

- जिला जज मलिक मजहर सुल्तान की अध्यक्षता में पर्यावरण जागरूकता शिविर आयोजित
- रुद्राक्ष, बांज सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

**DLSA Holds Tree Plantation Drive At Shyam Van On Harela Festival**

- District Judge Malik Mazhar Sultan Leads Environmental Awareness Campaign
- Rudraksha, Oak and Fruit-Bearing Saplings Planted; Collective Pledge for Environmental Protection

Surendra Pal Singh

**Uttarkashi (The Hawk):** Marking the Harela Festival, the District Legal Services Authority (DLSA), Uttarkashi, organized a tree plantation drive and an environmental awareness camp at PM Shri Shyam Van on Thursday. The programme was chaired by District Judge and Chairman of DLSA, Malik Mazhar Sultan. Members of the judiciary, Forest Department, ITBP, advocates and environmental volunteers participated in the event, emphasizing the need to make environmental conservation a people's movement.

The programme commenced with the plantation of various species of saplings, including Rudraksha, Oak (Banj), Guava, Lemon, Orange and Malta. Participants not only planted the saplings but also took a collective pledge to ensure their proper care and protection. Speakers highlighted that Harela, a traditional festival of Uttarakhand, symbolizes the state's rich cultural heritage and commitment to nature conservation, making its relevance even greater in the present era of climate change.

Addressing the gathering, District Judge Malik Mazhar Sultan said that a clean and healthy environment is not only a fundamental right of every citizen but also a collective responsibility. Referring to growing environmental challenges and climate change, he stressed the need for large-scale plantation and long-term protection of trees. He urged people to plant saplings on every important occasion in their lives and nurture them until they become full-grown trees.

DLSA Secretary Sachin Kumar informed participants about constitutional provisions, citizens' fundamental duties and various environmental protection laws. He said environmental conservation cannot be achieved by government agencies alone and requires active public participation. He appealed to people to adopt simple yet meaningful practices in daily life for the conservation of water, forests and land.

The awareness camp also focused on promoting greenery, sustainable use of natural resources and ensuring a healthy environment for future generations. Participants pledged to take responsibility for the maintenance and survival of the planted saplings.

Among those present were Chief Judicial Magistrate Abhay Singh, Civil Judge (Senior Division) Jayshree Rana, Civil Judge (Junior Division) Nancy Chhabra, President of the District Bar Association, officers and personnel of ITBP, officials of the Forest Department, environmental volunteers of Shyam Van, advocates and staff members of the District Legal Services Authority.

The programme concluded with a strong message that environmental protection is a shared social and legal responsibility, and that collective efforts are essential to preserve nature for future generations.

The Harela Plantation Drive received widespread public support and media coverage across several districts, reflecting the collective commitment of the judiciary, legal services institutions, government departments and local communities towards environmental conservation.

The initiative successfully integrated **legal awareness with ecological responsibility**, reinforcing the message that a clean and healthy environment is essential for sustainable development and the well-being of present and future generations.

प्रकृति का संरक्षण सबकी जिम्मेदारीः नरेंद्र

DEVSTHALI (P.G) COLLEGE OF BIOMEDICAL SCIENCE RESEARCH

हरिद्वार में पुलिस ने लगाए फलदार पौधे

हरेला उत्सव पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चलाया वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम

हर गांव का यही पैगाम, एक पेड़ माँ के नाम का लिया संकल्प

**ALMORA**

**BAGESHWAR**

**CHAMOLI**

**CHAMPAWAT**

**DEHRADUN**

**HARIDWAR**

**NAINITAL**

**PAURI GARHWAL**

**PITHORAGARH**

**RUDRAPRAYAG**

**TEHRI GARHWAL**

**UDHAM SINGH NAGAR**

UTTARKASHI

## प्रकृति का संरक्षण सबकी जिम्मेदारी:नरेंद्र

हरिद्वार, संवाददाता। हरेला पर्व पर जिला न्यायालय और बार एसोसिएशन परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

DEVSTHALI (P.G) COLLEGE OF BIOMEDICAL SCIENCE RESEARCH

हरिद्वार में पुलिस ने लगाए फलदार पौधे

## हरेला पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हरित संकल्प, पूर्णागिरि में चला विशेष वृक्षारोपण एवं विधिक जागरूकता अभियान

मुरादाबाद न्यूज प्राइम /विनोद जोशी

चम्पावत। चंपावत लोकपर्व हरेला के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्पावत के निर्देशन में गुरुवार को पूर्णागिरि तहसील क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण अभियान एवं विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वन संरक्षण एवं कानूनी अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। वन विभाग के डिपो संख्या-03 में आयोजित कार्यक्रम में एसडीओ शालिनी जोशी, पूर्व पालिकाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह रावत, रेंजर मेधा सिंह, ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों, आर्मी एवं पूर्व सैनिकों, पीएलवी, प्रो बोनो पीएलवी, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान के दौरान आम, जामुन, शीशम, तेजपात, त्रिफला, हरड़, आंवला, बेल, माल्टा, लीची सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। विशेषज्ञों ने पौधों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन में उनकी भूमिका, वनों की उपयोगिता तथा वन कानूनों की जानकारी देते हुए अधिकाधिक पौधारोपण करने और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त बाह्य न्यायालय परिसर में भी हरेला पर्व के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रुचिका नरूला एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी के नेतृत्व में न्यायालय परिसर को हरित बनाने के उद्देश्य से पीएलवी सदस्यों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पीएलवी अधिकार मित्र विजेंद्र अग्रवाल, शमशाद बानो, सोनी सिंह, अजय गुरानी, किरण महतोड़ी, प्रियंका पंचोली, राधिका अधिकारी, कुंवर सिंह भंडारी, दिग्विजय सिंह, अखिल कुमार, श्याम दत्त तिवारी, अंजू बोहरा, सुनील कुमार, सुनीता टम्टा तथा प्रो बोनो पीएलवी इजहार अली, सोनी जहां और ममता भंडारी सहित अनेक लोगों ने सहभागिता निभाई। हरेला पर्व पर आयोजित यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, जनभागीदारी और विधिक जागरूकता का प्रभावी संगम बनकर सामने आया।

लेक्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि एवं शिक्षक।

## लेक्स इंटरनेशनल स्कूल में रोपे पौधे

भीमताल : लेक्स इंटरनेशनल स्कूल, भीमताल में हरेला पर्व के अवसर पर पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिविल जज ( सीनियर डिवीजन ) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं निदेशक एसएस नेगी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इसके बाद विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा अतिथियों ने सामूहिक रूप से पौधारोपण कर हरियाली के पर्व हरेला को उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य नेगी ने न्यायाधीश पारुल थपलियाल की गरिमामयी उपस्थिति के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने विद्यार्थियों को दिए गए उनके प्रेरक संदेश एवं आशीर्वाद के लिए भी कृतज्ञता जताई। साथ ही उपस्थित अतिथियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और कर्मचारियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की ओर से न्यायाधीश पारुल थपलियाल को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पौधा स्मृति-चिह्न के रूप में भेंट किया गया।

## धरती को हरा-भरा रखने का पर्व

### पर्यावरण संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की धरोहर : जिला जज

देहरादून। हरेला के अवसर पर नव-निर्मित जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिला व सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संरक्षण का आधार ही नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्वस्थ व सुरक्षित भविष्य की अमूल्य धरोहर हैं।

## हरेला पर्व पर जिला न्यायालय परिसर में वृहद वृक्षारोपण

रुद्रप्रयाग। हरेला पर्व के अवसर पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश नीना अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश ने फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण कर किया।

इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश नीना अग्रवाल ने कहा कि हरेला केवल उत्तराखंड की लोक-संस्कृति का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और मानव जीवन के बीच सामंजस्य का संदेश देने वाला जनपर्व है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके वृक्ष बनने तक नियमित देखभाल, सिंचाई और संरक्षण करना भी प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है।

अभियान के तहत जिला न्यायालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में बांज, नीम, आंवला और जामुन सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इन पौधों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, कार्बन अवशोषण, मृदा अपरदन की रोकथाम, भू-जल संरक्षण तथा स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया।

कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) पायल सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अमित कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ कुमार तथा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विकास कुमार ने भी पौधारोपण किया।

इसके अलावा बार संघ के अध्यक्ष प्रदीप जगवाण, सचिव महावीर बुटोला, जिला शासकीय अधिवक्ताओं, बार संघ के अधिवक्ताओं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नरेन्द्र कोहली, प्रमेन्द्र सिंह असवाल, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पराविधिक स्वयंसेवकों ने भी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने रोपे गए पौधों की सुरक्षा एवं नियमित देखभाल का सामूहिक संकल्प लिया, ताकि रुद्रप्रयाग को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण के प्रति जागरूक जनपद बनाया जा सके।

## हरेला पर्व पर कोर्ट परिसर में हुआ पौधारोपण
## पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

रिपोर्ट अरुण कश्यप

हरिद्वार (देश जनहित)। हरेला पर्व के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज नरेंद्र दत्त एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने पौधे लगाकर किया।

इस अवसर पर जिला जज नरेंद्र दत्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हरेला पर्व हमें हर वर्ष प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराता है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण देने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना आवश्यक है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां और पर्यावरणीय चुनौतियां बढ़ रही हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी उपायों में से एक है।

उन्होंने सभी लोगों से पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला बार संघ के अध्यक्ष ... सिंह, सचिव विपिन द्विवेदी, अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा, ... सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए पौधारोपण किया।

## जवाहर नवोदय विद्यालय हरिद्वार के दो विद्यार्थियों का संभाग स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चयन

## हरेला पर पपड़ियाणा में कृषि, बागवानी और

## ONE MONTH "PLANTATION DRIVE"
## UNDER HARELA FESTIVAL
## COMMENCING FROM 01ST JULY, 2026 TO 31ST JULY, 2026

| S.N. | PARTICULARS | REPORT |
|---|---|---|
| 1 | No. of Awareness Programmes conducted | 5408 |
| 2 | No. of Participants | 109759 |
| 3 | No. of Saplings Planted | 190222 |
| 4 | Site/Places where Saplings planted. | Government Schools, Court Campus, Colleges, Community Parks, Block, Forest area, Police station, NGOs. |
| 5 | Species/Kind of Plants | Mango, Neem, Peepal, Arjun, Oak, Gudhal, Tejpaat, Kafal, Bonganbela, Fruit-bearing and Shade-giving Plants/Tree. |
| 6 | No of plants adopted as per SOP | 33216 |
| 7 | No. of survival status as on 10.08.2026 of saplings planted. | 178074 |
| 8 | No. of rural and urban areas covered (Village/Town areas, etc.) | 4116 |
| 9 | Departments/ Institutions/Volunteers | Forest Department, Horticulture, Education Department, NGOs, Para Legal Volunteer and Local Body. |
| 10 | Remarks/Impact Assessment | The concerned officials and staff of the respective department/institution where the plantation was carried out have taken full responsibility for the safety, watering and maintenance of the sapling. |

## World Population Day ( 11th July, 2026 )

In compliance with the directions issued by the Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA), Nainital, under the Monthly Action Plan for July 2026, District Legal Services Authorities (DLSAs) and Tehsil Legal Services Committees (TLSCs) across the State organized Legal Literacy and Awareness Camps, rallies and outreach programmes on the occasion of **World Population Day** on **11th July, 2026**.

**Key Messages Shared with Participants**

सबसे तेज प्रधान टाइम्स

विश्व जनसंख्या दिवस पर जिला कारागार हरिद्वार और सम्प्रेक्षण गृह रोशनाबाद में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन

सचिन आर्य

- Small family, healthy family.
- Plan your family for a better future.
- Protect natural resources through responsible population management.
- Invest in education, health and gender equality.
- Every individual has the right to informed reproductive healthcare.
- Population awareness is essential for sustainable development and environmental conservation.
- Responsible citizenship today ensures a healthier and greener tomorrow.

The camps also created awareness regarding the objectives and functions of the **Legal Services Authorities** and informed participants about the availability of free legal aid to eligible persons under the Legal Services Authorities Act, 1987. Information was disseminated regarding various welfare schemes and legal initiatives of the Central Government, the State Government and the National Legal Services Authority (NALSA), including the **NALSA Scheme for Persons with Mental Illness and Persons with Intellectual Disabilities, 2024**. Participants were also informed about the National Lok Adalat, legal aid

clinics and the role of Legal Services Authorities in ensuring access to justice for all.

**Awareness on Global Population Challenges and Their Impact**

विश्व जनसंख्या दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

जनसंख्या नियंत्रण, महिला अधिकार, साइबर अपराध और नि:शुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी

''खबर सत्यवार्ता संवाददाता'' अल्मोड़ा।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा के अध्यक्ष ''श्रीकांत पाण्डेय'' के मार्गदर्शन में शनिवार को रानीखेत विकासखंड के ग्राम धर्मांइजर में ''विश्व जनसंख्या दिवस'' के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ''अनामिका सिंह'' के निर्देशन में किया गया।

शिविर में उपस्थित ग्रामीणों, आशा कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों, जनसंख्या वृद्धि का विकास एवं संसाधनों पर प्रभाव, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, शिक्षा, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, मातृत्व अवकाश तथा पोषण के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर ''पीसी-पीएनडीटी अधिनियम'', दहेज निषेध अधिनियम, मानव तस्करी, यौन शोषण, साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणाम, उनके उपचार एवं बचाव, आपदा पीड़ितों के पुनर्वास तथा नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जागरूक किया गया। साथ ही पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता एवं ''नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100'' की जानकारी भी साझा की गई।

शिविर में राजकीय चिकित्सालय रानीखेत के ''डॉ. दीपक शर्मा'' ने जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी देते हुए स्वस्थ समाज के निर्माण में जनजागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम में विधि इंटर्न ''शारीक हुसैन'', अधिकार मित्र ''कंचन आर्या'', ''मो. वसीम'' सहित अन्य सहयोगियों ने भी प्रतिभागियों को विभिन्न विधिक अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

शिविर के दौरान उपस्थित ग्रामीणों से सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की रक्षा, साइबर ठगी से बचाव तथा कानूनी सहायता की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक साक्षरता बढ़ाने के साथ-साथ जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर व्यापक जनजागरूकता फैलाना रहा।

- **Rapid Population Growth:** Rising population increases pressure on resources and public services.
- **Food Security:** More people require greater food production and nutrition.
- **Clean Water & Sanitation:** Population growth increases demand for safe water and sanitation.
- **Housing & Urbanization:** Rapid urbanization leads to overcrowding and housing shortages.
- **Healthcare Services:** Growing populations place greater demand on healthcare facilities.
- **Education:** More children require better access to quality education.
- **Environmental Degradation:** Overpopulation contributes to pollution, deforestation and biodiversity loss.
- **Climate Change:** Higher population levels increase environmental and climate challenges.

Overall, the observance of **World Population Day 2026** was successfully conducted throughout the State with enthusiastic public participation. The programmes effectively enhanced awareness on population-related issues, family planning, legal rights, government welfare schemes and access to justice, thereby reinforcing the commitment of the Uttarakhand State Legal Services Authority and the District Legal Services Authorities towards legal empowerment and public welfare.

As per the Data received from DLSAs, the Consolidated report is as under:

| S.N | District | Place | Total No. of Person Attended | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almora | Village Dharmaijar, Ranikhet. | 2400 | Legal literacy & Awareness Camps. Awareness on Global Population Challenges and their impact was given. |
| 2 | Bageshwar | Jawahar Navodays School Simar. | 1042 | Total 36 places covered by PLVs and awareness on population-related issues, family planning and legal rights. |
| 3 | Chamoli | Primary Health Centre Dasholi | 460 | Total 25 places covered by PLVs. Legal Awareness Camps were organised. |
| 4 | Champawat | Govt. Higher Secondary School, Mirtola, Champawat. | 429 | Total 17 places covered by PLVs. Legal Awareness Camps were organised. |
| 5 | Dehradun | Computer Center Shaspur,Dehradun. | 1720 | Awareness on population-related issues, family planning and legal rights. |
| 6 | Haridwar | Jail, Haridwar, Place of Safety | 1800 | Total 62 places covered by PLVs & awareness Camps. |
| 7 | Nainital | Purnanad Tiwari Govt. Inter College, Nainital. | 1458 | Total 25 places covered by PLVs and awareness on Global Population Challenges and their impact were given. |
| 8 | Pauri Garhwal | District Court Pauri. | 540 | Total 19 Places covered by PLVs. Legal Awareness Camps were organised. |
| 9 | Pithoragarh | Government Inter College, Gurna. | 133 | Awareness on population-related issues, family planning, legal rights, government welfare schemes and access to justice. |
| 10 | Rudraprayag | Block Sabhagaar, Ukhimath. | 265 | Total 08 places covered by PLVs and awareness on Global Population Challenges and their impact were given. |
| 11 | Tehri Garhwal | Dandachali, Tehri Garhwal. | 1410 | 55 Awareness Camps Organised by PLVs. Awareness regarding family planning, legal rights and various schemes. |
| 12 | Udam Singh Nagar | Transit Camp Govindnagar. | 1208 | 147 Awareness Camps Organised by PLVs. & various Government Schemes. |
| 13 | Uttarkashi | Matli, Uttarkashi | 1377 | 147 Awareness Camps Organised by PLVs. Awareness on family planning, legal rights, and government welfare schemes. |

ALMORA

BAGESHWAR

CHAMOLI

CHAMPAWAT

HARIDWAR

PAURI GARHWAL

**PITHORAGARH**

**RUDRAPRAYAG**

**TEHRI GARHWAL**

**UDAHM SINGH NAGAR**

**UTTARKASHI**

दैनिक ग्राम्य गाथा | विविध | उत्तरकाशी: रविवार 12 जुलाई 2026 | 7

**विश्व जनसंख्या दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर, पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश**

● सचिव सचिन कुमार ने समझाया संतुलित जनसंख्या का महत्व, छात्र-छात्राओं संग रोपे पौधे

# Media Coverage

## विश्व जनसंख्या दिवस पर मिरतोला विद्यालय में जागरूकता अभियान, छात्रों ने लिया जनसंख्या नियंत्रण का संकल्प

**मुरादाबाद न्यूज प्राइम /विनोद जोशी**

**चम्पावत** - विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिरतोला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत की ओर से एक दिवसीय विधिक साक्षरता एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बढ़ती जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की जानकारी देते हुए परिवार नियोजन एवं जनजागरूकता का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते ने की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण पर बढ़ती जनसंख्या के प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा नालसा की विभिन्न निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने समाज में जनसंख्या नियंत्रण एवं जागरूकता फैलाने का सामूहिक संकल्प लिया।

कार्यक्रम में पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) ने भी स्थानीय लोगों को जागरूक किया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से छात्र-छात्राओं एवं आमजन को विधिक जानकारी से संबंधित सूचनात्मक पैम्पलेट वितरित किए गए।

## परिवार नियोजन के प्रति किया जागरूक

उत्तरकाशी/पुरोला। विश्व जनसंख्या दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित महिला अस्पताल और पुरोला उप जिला चिकित्सालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला महिला चिकित्सालय में कार्यक्रम का शुभारंभ प्रमुख अधीक्षक डॉ. पीएस पोखरियाल ने किया। वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. हिमाद्री ने परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी साधनों, सुरक्षित मातृत्व और प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी दी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीएस पांगती ने बताया कि इस वर्ष की थीम जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल है। वहीं, पुरोला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। सिविल जज एवं तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष विवेक शर्मा ने विश्व जनसंख्या दिवस का महत्व बताया। संवाद

## जिला विधिक प्राधिकरण ने लगाया जागरूकता शिविर

## विश्व जनसंख्या दिवस पर निकाली जनजागरूकता रैली

## विश्व जनसंख्या दिवस पर चाफी इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर और वृक्षारोपण

**न्यूज प्रिन्ट संवाददाता**

**नैनीताल।** उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल/ जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में सिविल जज (सी.डि.)/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल पारुल थपलियाल के द्वारा पूर्णानंद राजकीय इंटर कॉलेज चाफी मे विश्व जनसंख्या दिवस पर विधिक साक्षरता एवम जागरूकता शिविर व वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। शिविर मे सचिव द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस पर बताया गया विश्व जनसंख्या दिवस का भविष्य युवाओं को सशक्त बनाने और बढ़ते संसाधनों पर दबाव को नियंत्रित करने पर केंद्रित है,इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में निवेश करके युवाओं की उम्मीदों को पूरा करना है ताकि वे एक बेहतर, संतुलित और खुशहाल दुनिया बना सकें, शिविर मे सचिव द्वारा नशा उन्मूलन, साइबर अपराध आदि विषय पर भी विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई। सचिव द्वारा विद्यालय परिसर मे वृक्षारोपण भी किया शिविर मे प्रधानाचार्य किशोर कुमार, पीएलवी नवाब खान, समस्त शिक्षक उपस्थित रहे।। शिविर के उपरांत सिविल जज (सी.डि.)/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल पारुल थपलियाल के द्वारा विकास भवन भीमताल मे स्थिति वेलेज लीगल एड किलिनिक का निरीक्षण किया व विकास भवन परिसर मे भी वृक्षारोपण किया गया।

## महिलाओं को पॉश अधिनियम और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वावधान तथा जनपद न्यायाधीश सिकंदर कुमार त्यागी के निर्देशन में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर की सचिव एवं सिविल जज ममता पंत ने जनसंख्या स्थिरीकरण के लाभ, महिलाओं के अधिकार तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ममता पंत ने कहा कि प्रत्येक महिला को सम्मानजनक और सुरक्षित कार्यस्थल

पर कार्य करने का अधिकार है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार, अशोभनीय इशारे या अनुचित आचरण किया जाता है तो वह बिना किसी संकोच के पॉश समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है। कार्यक्रम में पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं तथा नालसा हेल्पलाइन 15100 की जानकारी देते हुए जरूरतमंद लोगों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर एचआर हेड विनीत कुमार, एचआर अनुदीप राह, एचआर चंचल तथा कंपनी की बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी उपस्थित रहीं।

## मेधावी छात्रों को किया सम्मानित

पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राइंका गुरना में विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम किया। शनिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज धनंजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में सचिव मंजू देवी विद्यालय पहुंची। इस दौरान सचिव ने बच्चों को विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में जानकारी दी। प्रतियोगिता में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया।

## World Youth Skills Day ( 15th July,2026 )

Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA), Nainital, under the Monthly Action Plan for July 2026, the District Legal Services Authorities (DLSAs) and Tehsil Legal Services Committees (TLSCs) across the State organized **Legal Literacy and Awareness Camps** on the occasion of **World Youth Skills Day** on **15 July 2026**.

The participants were informed that **World Youth Skills Day** is observed every year on **15 July** following its proclamation by the **United Nations General Assembly in 2014**. The observance aims to recognize the importance of equipping young people with technical, vocational, digital, entrepreneurial, and life skills necessary for employment, decent work, innovation and sustainable development. The **theme for World Youth Skills Day 2026**, *"Empowering Youth through AI and Digital Skills,"* was highlighted, emphasizing the need to prepare young people for the rapidly evolving digital economy and future job market.

## Key Awareness Topics Covered

दैनिक ग्राम्य गाथा | पर्वतीय सीमांत क्षेत्र | उत्तरकाशी: गुरुवार 16 जुलाई 2026 | 3

**विश्व युवा कौशल दिवस पर उत्तरकाशी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन**

- कौशल विकास से रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे : सचिव सचिन कुमार
- छात्रों को एआई और डिजिटल कौशल से भविष्य के लिए तैयार रहने का दिया संदेश

- **Technical & Vocational Education:** Promoted industry-relevant technical and vocational skills.
- **Digital Literacy:** Encouraged the effective use of digital technologies and online platforms.
- **Artificial Intelligence (AI):** Highlighted the growing role of AI in future careers.
- **Entrepreneurship:** Motivated youth towards innovation and self-employment.

- **Financial Literacy:** Created awareness about budgeting, banking and digital finance.
- **Career Guidance:** Informed participants about career planning and skill development opportunities.
- **Communication Skills:** Emphasized effective communication for professional growth.
- **Problem-Solving Skills:** Encouraged critical thinking and analytical abilities.
- **Leadership & Teamwork:** Promoted leadership, collaboration, and teamwork.
- **Digital Competencies:** Highlighted the importance of digital and technology-based skills.
- **Employability Skills:** Encouraged continuous skill enhancement for better employment.
- **Self-Reliance:** Motivated youth to become self-dependent through skill development.
- **Emerging Job Opportunities:** Introduced careers in AI, IT, digital services and other emerging sectors.
- **Lifelong Learning:** Encouraged continuous learning, upskilling, and re-skilling.
- **Government Skill Schemes:** Informed participants about various skill development and entrepreneurship schemes.

Overall, the observance of **World Youth Skills Day 2026** was successfully conducted across the State. The programmes significantly enhanced awareness regarding skill development, digital literacy, entrepreneurship, legal empowerment, government welfare schemes and employment opportunities, thereby reinforcing the commitment of the **Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA)** and the **District Legal Services Authorities (DLSAs)** towards empowering youth and promoting inclusive and sustainable development.

On the basis of the statistical information furnished by the District Legal Services Authorities, a consolidated report has been prepared and the same is hereunder:-

| S.N | District | Place | Total No. of Person Attended | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almora | Vivekanand Balika Vidhya mandir Jee-wan Dham. | 973 | Sensitized persons regarding drug abuse pre-vention, gender equality and women's safety. |
| 2 | Bageshwar | Saraswati Shishu Mandir Inter College Chaurasi . | 762 | Total 21 places covered by PLVs, Legal Literacy & Awareness camps. |
| 3 | Chamoli | Total 2 Camps were organized by PLVs. | 27 | Informed participants about various skill devel-opment and entrepreneurship schemes. |
| 4 | Champawat | Gramin Swarojgar training R.T.C.T Champawat. | 645 | Total 21 places covered by PLVs. Awareness regarding skill development and digital literacy. |
| 5 | Dehradun | Balika Niketan, Dehradun | 1030 | Total 24 places covered by PLVs & information about entrepreneurship and legal empower-ment. |
| 6 | Haridwar | Total 52 places cov-ered by PLVs. | 2708 | Sensitized persons regarding drug abuse pre-vention, gender equality and women's safety |
| 7 | Nainital | At various places | 200 | Informed participants about various skill devel-opment and entrepreneurship schemes. |
| 8 | Pauri Garhwal | At various places in the District. | 697 | Total 16 places covered by PLVs, Legal Literacy & Awareness camps. |
| 9 | Pithoragarh | Government Girls Hostel, Pithoragarh. | 39 | Awareness regarding skill development, digital literacy, entrepreneurship, legal empowerment and government welfare schemes. |
| 10 | Rudraprayag | SBI gramin Swaroj-gaar Center | 278 | Sensitized persons regarding drug abuse pre-vention, gender equality and women's safety. Total 17 places covered by PLVs. |
| 11 | Tehri Garhwal | Govt. Inter College, JakhaniDhaar. | 714 | Informed participants about various skill devel-opment and entrepreneurship schemes. |
| 12 | Udam Singh Nagar | SBI Gramin Swaroj-gar Training Center. | 278 | Total 17 places covered by PLVs and Awareness on Skill Development and entrepreneurship schemes was given. |
| 13 | Uttarkashi | Government inter-college, Uttarkashi. | 1578 | Total 130 places covered by PLVs, Awareness regarding skill development, digital literacy and entrepreneurship. |

**ALMORA**

**BAGESHWAR**

**CHAMOLI**

**CHAMPAWAT**

**DEHRADUN**

**HARIDWAR**

**NAINITAL**

**PAURI GARHWAL**

**PITHORAGARH**

**RUDRAPRAYAG**

**TEHRI GARHWAL**

**UDHAM SINGH NAGAR**

**UTTARKASHI**

# विश्व युवा कौशल दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

## कौशल विकास, आत्मनिर्भरता एवं विधिक अधिकारों की दी गई जानकारी

**बागेश्वर, 15 जुलाई 2026**
मा0 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उपलब्ध कराए गए माह जुलाई-2026 के प्लान ऑफ एक्शन के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर के तत्वावधान में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, बागेश्वर में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में श्री त्रिलोक चन्द्र जोशी, रिटेनर अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय केवल किताबी ज्ञान का नहीं, बल्कि कौशल (Skill) का युग है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 से विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार, कार्य एवं उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी रुचि एवं प्रतिभा को पहचानकर कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने तथा

सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, बागेश्वर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते रिटेनर अधिवक्ता श्री त्रिलोक चन्द्र जोशी।

कार्यक्रम में श्री प्रशांत कुमार पाण्डे, अधिवक्ता, विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

### शिविर में दी गई प्रमुख जानकारियां

- NALSA (Legal Services to Persons with Mental Illness and Persons with Intellectual Disabilities) Scheme, 2024
- NALSA हेल्पलाइन 15100
- विशेष लोक अदालत (धारा 138 एन.आई. एक्ट)
- NALSA DAWN (नशा मुक्ति जागरूकता योजना)
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम
- नि:शुल्क विधिक सहायता
- NALSA वीर परिवार सहायता योजना
- भारतीय न्याय संहिता (BNS)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

हिन्दुस्तान

# महिलाओं को सिलाई-बुनाई का प्रशिक्षण दिया

भवाली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की सचिव पारुल थपलियाल के निर्देशानुसार बुधवार को एक दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संचालन पीएलवी रीतू ने किया। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष पंकज कुमार, उनकी पत्नी सुमन आर्य, वार्ड सदस्य मुकेश कुमार समेत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। पीएलवी सोनम भारत, सरिता देवी, गौरी देवी, सोनिया, लक्ष्मी आदि महिलाएं मौजूद रहीं।

# अल्मोड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

देव केशरी अल्मोड़ा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अनामिका सिंह द्वारा World Youth Skills Day के अनुक्रम में विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर जीवन धाम अल्मोड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आरम्भ सचिव द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। उपस्थित छात्राओं आत्मनिर्भर और रोजगारयोग्य क्षेत्रों के चयन हेतु व पर्सनालिटी डेवलपमेंट,एवं व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आनलाइन सुरक्षित व्यवहार, कानूनी अधिकारो और डिजिटल जगत में सुरक्षा, Pocso act, मानव तस्करी,यौन शोषण,दहेज निषेध अधिनियम,घरेलू हिंसा,(Posh act) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण,प्रतिषेध,और प्रतितोष) अधिनियम 2013, आपदा पीड़ितों के पुनर्वास व निशुल्क विधिक सहायता,नालसा हैल्पलाइन नंबर 15100, आदि जानकारी प्रदान की गई । शिविर मे विद्यालय की प्रधानाचार्या, अध्यापकगण, आदि उपस्थित रहें। तत्पश्चात सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के सहयोग से बिंसर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया ।

## Sukhatal Cleanliness Drive ( 23rd July, 2026 )

In furtherance of environmental conservation and sustainable water resource management, the Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA) organized a **Cleanliness Drive at Sukhatal Lake, Nainital**, in collaboration with the District Legal Services Authority (DLSA), Nainital, Panel Lawyers, Para Legal Volunteers (PLVs) and other concerned departments and stakeholders on **23rd July, 2026**.

Sukhatal Lake is a seasonal freshwater lake situated approximately 1.5–2 km from Naini Lake. It serves as a natural groundwater recharge basin and plays a significant role in maintaining the hydrological balance and groundwater levels of the Nainital region.

**सूखाताल में विशेष स्वच्छता अभियान**

शाह टाइम्स संवाददाता
**नैनीताल।** उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को सुखाताल झील परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के दौरान झील और आसपास के क्षेत्र से प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, कांच की बोतलें व अन्य गैर-जैव अपघटनीय कचरा एकत्र कर सफाई की गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने बताया कि सुखाताल झील की खराब स्थिति को देखते हुए 30 जून को नगर पालिका और जिला प्रशासन को नियमित सफाई, रखरखाव तथा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजा गया था। उन्होंने झील क्षेत्र में फैली गंदगी और असामाजिक गतिविधियों पर भी चिंता जताई। कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित इस अभियान में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, झील विकास प्राधिकरण, नगर पालिका परिषद नैनीताल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने भाग लिया। स्वच्छता अभियान के बाद परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इस स्वच्छता अभियान में हर्ष यादव विशेष कार्य अधिकारी, पारुल थपलियाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, झील विकास प्राधिकरण नैनीताल, रोहिताश शर्मा अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका नैनीताल व डा. सरस्वती खेतवाल अध्यक्ष नगर पालिका समेत विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया।

During the monsoon season, the lake stores rainwater, which gradually percolates into the ground, replenishing aquifers and supporting the long-term water security of the town. However, due to rapid urbanization, encroachment, siltation, climate variability and the degradation of its natural drainage system, the lake has experienced a considerable decline in its water-holding and groundwater recharge capacity.

दैनिक जागरण हल्द्वानी, 24 जुलाई, 2026

सार संक्षेप

**सूखाताल में चला मेगा सफाई अभियान, पौधरोपण भी किया**

जागरण संवाददाता, नैनीताल : उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान मे नैनी झील के जलागम क्षेत्र सूखाताल मे मेगा सफाई अभियान चलाने के साथ ही पौधरोपण किया गया। अभियान मे करीब 350 स्कूली बच्चों सहित जनप्रतिनिधि–अधिकारियों ने शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता जताई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी की ओर से 30 जून को सूखाताल झील क्षेत्र की दयनीय स्थिति, पर्यावरणीय क्षरण एवं प्रशासनिक उपेक्षा के संबंध मे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नगरपालिका के ईओ को पत्र भेजा था। गुरुवार को प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के आदेश के अनुपालन मे विशेष सफाई अभियान चलाया गया। 50 से अधिक पौधे लगाए गए। यहां प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी हर्ष यादव, डीएलएसए सदस्य सचिव पारुल थपलियाल, पालिकाध्यक्ष डा. सरस्वती खेतवाल, ईओ रोहिताश शर्मा, केएमवीएन के जीएम व डीडीए सचिव मनीष कुमार सिंह, यशवंत कुमार सहित केएमवीएन कर्मचारी शामिल रहे।

पौधरोपण करते सालसा सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी व अन्य • सौ. डीएलएसए

Keeping in view the ecological importance of Sukhatal Lake and the ongoing efforts for its restoration, the Cleanliness Drive was conducted to remove waste and promote environmental awareness among the public.

The programme witnessed active participation from officers and officials of UKSLSA, DLSA, Panel Lawyers, Para Legal Volunteers, representatives of Nagar Palika, School Children and local stakeholders, who collectively contributed towards cleaning the lake premises and preserving its natural ecosystem.

**Key Highlights:**

- Cleanliness Drive organized at Sukhatal Lake, Nainital.
- Conducted by UKSLSA in collaboration with DLSA, Nainital, School Children and other stakeholders.
- Active participation of Panel Lawyers, Para Legal Volunteers, local authorities and community members.
- Awareness generated regarding wetland conservation, groundwater recharge and environmental sustainability.
- Promoted community participation in environmental conservation and responsible waste management.

The Cleanliness Drive reflected the commitment of UKSLSA towards environmental protection and public participation. The initiative not only helped improve the cleanliness of the lake area but also strengthened public awareness regarding the conservation of water resources, ecological sustainability and the collective responsibility of society in protecting the natural heritage of Uttarakhand.

# Kargil Vijay Diwas ( 26th July, 2026 )

In compliance with the directions issued by the Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA), Nainital under the Monthly Action Plan for July 2026, the District Legal Services Authorities (DLSAs) observed **Kargil Vijay Diwas** on **26th July, 2026** by organizing Legal Literacy and Awareness Programmes across the all districts.

During the awareness programmes, participants were informed about the **NALSA Veer Parivar Yojana, 2025**, under which eligible serving soldiers, ex-servicemen, personnel of paramilitary forces and their dependent family members are entitled to receive **free legal aid and legal services**. Information regarding the availability of legal aid through the District Legal Services Authority was also disseminated.

Special emphasis was laid on inspiring citizens, particularly the youth, to imbibe the values of **patriotism, courage, discipline, national unity, integrity and responsible citizenship**. Participants were encouraged to honour the sacrifices of the Armed Forces and actively contribute towards nation-building.

हिन्दुस्तान
अपना हरिद्वार
हरिद्वार में वीर नारियों और परिजनों का सम्मान
युद्ध में बढ़ाया मानः जोशी
हरिद्वार में प्रकाशोत्सव की तैयारी तेज
शिवालिक नगर में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

In addition, **candle marches** were organized to pay heartfelt tribute to the brave martyrs of the Kargil War. The programmes witnessed active participation from Panel Advocates, Pro Bono Volunteers, government officials, members of the public and local stakeholders, making the observance meaningful and impactful.

The observance of **Kargil Vijay Diwas** successfully promoted legal awareness among eligible beneficiaries while fostering a deep sense of patriotism and respect for the Armed Forces. The programmes also strengthened public awareness regarding free legal aid services available through the Legal Services Institutions.

**कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, पूर्व सैनिकों ने सुनाए रणभूमि के प्रेरक संस्मरण**

**टनकपुर सैनिक विश्राम गृह में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में गूंजा राष्ट्रभक्ति का स्वर, शहीद सैनिकों के नाम एक वृक्ष अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण**

**मुरादाबाद न्यूज प्राइम /विनोद जोशी**

**चंपावत।** कारगिल विजय दिवस के अवसर पर टनकपुर स्थित सैनिक विश्राम गृह में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के तत्वावधान में श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ तहसीलदार पिंकी आर्य एवं कोतवाल चेतन रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कारगिल के वीर सपूतों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। अपने संबोधन में कोतवाल चेतन रावत ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सैनिकों के अद्वितीय पराक्रम, राष्ट्रभक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत है और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। समारोह में उपस्थित पूर्व सैनिकों ने वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध से जुड़े अपने अनुभव और संस्मरण साझा करते हुए युद्ध की कठिन परिस्थितियों, सैनिकों के अदम्य साहस और मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद किया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशभक्ति, अनुशासन और सेवा की भावना को अपनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के समापन पर "शहीद सैनिकों के नाम एक वृक्ष" अभियान के अंतर्गत सैनिक विश्राम गृह परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा शहीदों की स्मृति को प्रकृति संरक्षण से जोड़ने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सिंह अधिकारी ने किया। इस अवसर पर कैप्टन चंद्रशेखर गहतोड़ी, केशव सिंह भंडारी, जोरा सिंह, पूर्णानंद जोशी, सूबेदार मेजर महेश जोशी, सूबेदार पुष्कर सिंह बोरा, हवलदार मनोज तिवारी, हवलदार कैलाश राय, सूबेदार धर्म सिंह रावत, हवलदार दिग्विजय तड़ागी, अजय गुरुरानी, डॉ. देवी दत्त जोशी, जगदीश जोशी सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

## Key Highlights

- Observance of **Kargil Vijay Diwas** on 26 July 2026.
- Legal Literacy and Awareness Programmes organized across the district.
- Awareness through rallies, banners and pamphlet distribution.
- Tree plantation conducted in memory of Kargil martyrs.
- Candle marches organized as a tribute to the brave soldiers.
- Awareness on **NALSA Veer Parivar Yojana, 2025**.
- Information provided regarding free legal aid for serving soldiers, ex-servicemen, paramilitary personnel and their dependents.
- Promotion of patriotism, national unity, integrity and responsible citizenship.
- Dissemination of information regarding free legal services provided by DLSA.

**कारगिल के रणबांकुरों को किया सलाम**

**शाह टाइम्स संवाददाता**

**टनकपुर।** कारगिल विजय दिवस के अवसर पर टनकपुर सैनिक विश्राम गृह में देशभक्ति के रंग में सराबोर हो उठा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के तत्वावधान में आयोजित श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह में कारगिल के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अद्वितीय शौर्य, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया गया।

**गूंजा 'भारत माता की जय' का उद्घोष**

कार्यक्रम का शुभारंभ तहसीलदार पिंकी आर्य एवं कोतवाल चेतन रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कारगिल के वीर सपूतों को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके बलिदान को कभी न भूलने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में विशिष्ट अतिथि कोतवाल चेतन रावत ने कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, अटूट राष्ट्रभक्ति और वीरता का स्वर्णिम प्रतीक है। समारोह के अंत में शहीद सैनिकों के नाम एक वृक्ष अभियान के तहत सैनिक विश्राम गृह परिसर में वृक्षारोपण किया गया।

कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सिंह अधिकारी ने किया। इस अवसर पर कैप्टन चंद्रशेखर गहतोड़ी, केशव सिंह भंडारी, जोश सिंह, पूर्णानंद जोशी, सूबेदार मेजर महेश जोशी, सूबेदार पुष्कर सिंह बोरा, हवलदार मनोज तिवारी, हवलदार कैलाश राय, सूबेदार धर्म सिंह रावत, हवलदार दिग्विजय तड़ागी, अजय गुरुरानी, डॉ. देवी दत्त जोशी, जगदीश जोशी सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

# Consolidated Report

| S.N | District | Place | Total No. of Person Attended | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almora | Jila Sainik Kalyan evam Punarvas kendra, Almora. | 570 | Total 33 Camps organized by PLVs. Information regarding free legal aid for serving soldier & ex-serviceman. |
| 2 | Bageshwar | Youth Indian Academy Training Center Ranik-het, Meeting Hall Tehsil Garur. | 560 | Total 18 Camps organized by PLVs. Sensitized about NALSA Veer Parivar Yojna. |
| 3 | Chamoli | Jila Panchayat Sabha-gaar, Gopeshwar. | 479 | Total 16 Camps organized by PLVs. Legal Awareness Camps and rallies were organized. |
| 4 | Champawat | Total 24 places covered by PLVs. | 667 | Awareness on NALSA Veer Parivar Yoj-na, Integrity and Patriotism. |
| 5 | Dehradun | At various places in the district. | 220 | Total 16 Camps organized by PLVs. Legal Literacy & Awareness Camps. |
| 6 | Haridwar | At Dev Bhoomi Int. public School, Collectorate e-Bhawan. | 1249 | 10 Camps organized by PLVs. Sensitized about NALSA veer Parivar Yojna. |
| 7 | Nainital | Saheen Sainik School & Saheed Smarak Park. | 120 | Awareness on NALSA Veer Parivar Scheme, 2025. |
| 8 | Pauri Garhwal | At various places in the district. | 493 | Total 13 Camps organized by PLVs. Legal Literacy & Awareness Camps. |
| 9 | Pithoragarh | DLSA, Pithoragarh. | 21 | Awareness on NALSA Veer Parivar Scheme & Legal Awareness Camps. |
| 10 | Rudraprayag | Army Cant, Rudaprayag. | 164 | Legal Literacy & Awareness Camps. |
| 11 | Tehri Garhwal | 41 Camps organized by PLVs. | 2255 | Awareness on NALSA Veer Parivar Yojna, Integrity and Patriotism. |
| 12 | Udam Singh Nagar | Total 8 Legal Literacy & Awareness Camps were organized. | 1768 | Awareness on NALSA Veer Parivar Scheme, 2025 and Legal Awareness Camps. |
| 13 | Uttarkashi | 47 Camps organized by PLVs. | 415 | Promotion of patriotism, national unity and integrity. |

ALMORA

BAGESHWAR

CHAMOLI

CHAMPAWAT

DEHRADUN

HARIDWAR

**NAINITAL**

**PAURI GARHWAL**

**PITHORAGARH**

**RUDRAPRAYAG**

**TEHRI GARHWAL**

**UDHAM SINGH NAGAR**

**UTTARKASHI**

गढ़वाल आसपास

## कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को किया नमन

### शौर्य दिवस पर वीर नारियों व परिजनों का हुआ सम्मान

### कुष्ठ एवं असहाय लोक सेवा समिति की वार्षिक आम बैठक आयोजित

### राष्ट्रीय स... तैयारियां तेज

## कारगिल विजय दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, वीर सैनिकों के सम्मान का दिया संदेश

Anil Rawat · July 27, 2026 · 1 minute read

शहर



पिथौराड़ में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया।

## वीरांगनाओं को किया सम्मानित

पिथौरागढ़। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में वीरांगनाओं व शहीद की माता को सम्मानित किया गया। रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने शॉल ओढ़ाकर कुना देवी, तनुजा देवी, लीला देवी, शांति देवी को सम्मानित किया। इस दौरान एडवोकेट अजय बोरा आदि लोग मौजूद रहे।

## सैनिकों और परिजनों की समस्याओं का तत्परता से हो निदान

### कारगिल विजय दिवस पर बोले जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, शहीदों को अर्पित की पुष्पांजलि

### शहीद जगदीश वत्स की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

### कारगिल विजय दिवस पर शिव शक्ति वेलनेस फाउंडेशन ने किया सेवा कार्यक्रम

### शहीद सैनिकों की वीर नारियों और परिजनों को किया सम्मानित

## विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीकांत पांडेय के मार्गदर्शन में सोमवार को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनामिका सिंह के निर्देशन में किया गया। शिविर में भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को नालसा वीर परिवार सहायता योजना-2025, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007, साइबर सुरक्षा तथा सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।

समाज कल्याण विभाग की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नीलम बिष्ट ने विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

## World Day Against Trafficking on Persons (30th July,2026 )

In compliance with the directions issued by the **Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA), Nainital**, comprehensive awareness and capacity-building programmes were organized to sensitize Para Legal Volunteers (PLVs), Pro Bono Volunteers and members of the public on the issue of **Human Trafficking** and to observe the **World Day Against Trafficking in Persons**.

सबसे तेज प्रधान टाइम्स

विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार ने किया रैली का आयोजन

सचिन आर्य

A **one-day training programme** for Para Legal Volunteers (PLVs) and Pro Bono Volunteers was conducted through online mode. During the training, participants were educated about the concept of human trafficking its various forms, causes, methods adopted by traffickers, and the legal safeguards available to victims. They were informed that trafficking includes exploitation through force, fraud, coercion, forced labour, sexual exploitation, child labour, begging, illegal organ trade and other forms of abuse.

Special emphasis was laid on the legal provisions relating to the prevention of human trafficking, including the **Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956**, the **Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023** and other relevant laws. The participants were informed that victims can immediately report such offences to the nearest police station and are entitled to **free legal aid** through the District Legal Services Authority. Information regarding victim protection, rehabilitation measures and legal assistance available under the Legal Services Authorities Act was also disseminated.

**Key Highlights**

- One-day training programme conducted for PLVs and Adhikar Mitras.
- Awareness on the meaning, causes, indicators and prevention of human trafficking.
- Information provided on the **Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956** and **Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023**.
- Free legal aid facilities and victim rehabilitation measures explained.
- District-wide observance of **World Day Against Trafficking in Persons (30 July 2026)**.
- Awareness camps organized through Taluka Legal Services Committees and PLVs.
- Public informed about emergency helplines: **112, 100, 1098, 1091 and 1905**.
- Campaign publicized through print, electronic, and social media for wider outreach.

**Legal Awareness Camp On World Day Against Trafficking In Persons Held At Bonga**

Surendra Pal Singh

**Uttarkashi (The Hawk):** On the occasion of the World Day Against Trafficking in Persons, the District Legal Services Authority (DLSA), Uttarkashi, organised a legal literacy and awareness camp on Thursday at Gram Panchayat Bonga (Bhelura) in Bhattwari Tehsil. The programme was conducted under the guidance of the Uttarakhand State Legal Services Authority (SLSA), Nainital, and the District Judge and Chairman, District Legal Services Authority, Uttarkashi.

The camp aimed to create awareness among villagers about the growing menace of human trafficking. Participants were informed about preventive measures, legal provisions, victims' rights, and the availability of free legal aid schemes.

Addressing the gathering, DLSA Secretary Sachin Kumar said that human trafficking is a serious violation of human rights in which women, children, and other vulnerable sections of society are lured through false promises, deception, and exploitation. He stressed that preventing human trafficking is not solely the responsibility of law enforcement agencies, but requires active participation from every member of society.

He urged the public to immediately report any suspicious activities related to human trafficking to the police or the concerned authorities so that timely action can be taken and victims can be rescued and provided assistance.

During the awareness session, detailed information was shared on the causes, consequences, identification of trafficking cases, and the legal framework for combating the crime. Villagers were also educated about the free legal aid services provided by the National Legal Services Authority (NALSA) and the Uttarakhand State Legal Services Authority (SLSA), along with the rights and legal protections available to victims. At the conclusion of the programme, participants pledged to remain vigilant against human trafficking and to spread awareness among their families and communities to help eradicate this social evil. The camp was attended by DLSA Secretary Sachin Kumar, retainer advocates, office staff, para-legal volunteers, and a large number of local residents.

**विधिक शिविर में मानव तस्करी के बारे में जाना**

शाह टाइम्स संवाददाता

**नैनीताल।** उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल/जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में सिविल जज (सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल के द्वारा जिला मुख्यालय नैनीताल स्थित सनवाल पब्लिक स्कूल में शनिवार को मानव तस्करी विषय पर विधिक साक्षरता एवम जगरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सिविल जज (सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल द्वारा सर्व प्रथम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे मे बताते हुए बताया। कहा कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान प्रदान करने वाली एक जिला स्तरीय संस्था है जो महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा विकलांगों और विचारधीन बन्दी, किन्नर समाज व मानसिक रूप से कमजोर, वृद्ध जन तथा कम आय वाले व्यक्तियों को कोर्ट में पैरवी के लिए मुफ्त वकील मुहैया कराती है। सचिव द्वारा मानव तस्करी पर बताया गया। मानव तस्करी को रोकने के मुख्य उपाय जन-जागरूकता बढ़ाना, कड़े कानून लागू करना और पीड़ितों का पुनर्वास, समाज और कमजोर वर्गों को तस्करी के खतरों और फर्जी वादों के बारे में बताया। शिविर में प्रधानाचार्य अमदीप एमनुल समेत अंबिका, यशवंत कुमार, प्रशिक्षुता, भूमिका व निहारिका आदि मौजूद रहे।

The awareness initiatives significantly contributed to enhancing public understanding regarding the prevention of human trafficking, protection of vulnerable persons, timely reporting of offences, and the availability of free legal services. The programmes reaffirmed the commitment of UKSLSA and DLSAs towards safeguarding human rights, preventing exploitation and ensuring access to justice for all

<u>**Consolidated Report**</u>

| S. N. | Particulars | Report |
|---|---|---|
| 1. | **No. and Type of Activity Conducted**<br>(Short detail) | **258** Legal Literacy Camps<br>9 Rallies<br>1 Seminar<br>1 Interactive Session |
| 1.1 | **Departments/Stakeholders Associated** | District Administration/Police Department/Panel/TLSC Lawyers/PLVs/Educational Institutions/NGOs/ Others |
| 2. | **Major Topics Covered**<br>(Short detail) | Forms of Human Trafficking Explained.<br>Women & Girls for Sexual Exploitation.<br>Child Labour & Begging.<br>Domestic Work and Forced Labour.<br>False Promise of Employment or Marriage<br>Cross-Border Trafficking. |
| 3. | **Forms of Human Trafficking Explained**<br>(Short detail) | Women & Girls for Sexual Exploitation.<br>Child Labour & Begging.<br>Domestic Work, Forced Labour and False Promise of Employment or Marriage.<br>Cross-Border Trafficking.<br>Organ Removal, Cyber-enabled and Forced Criminality. |
| 4. | **Legal Rights of Victims, Rehabilitation & Support Mechanisms Explained**<br>(Short detail) | Information was provided to the general public about the Legal rights, Rehabilitation & Support system of victims of human helpline no-1905 etc. |
| 5. | **Helpline Numbers Publicized**<br>(Short detail) | National Emergency Response helpline no-112, Police helpline no-100, Child helpline no-1098, Women helpline no- 1905 etc. |
| 6. | **Target Group(s) Covered** | Students/Women/Children/Labourers/General Public. |
| 7. | **Total Number of Participants** | Total number of participants, including Male/Female/Children/Officials/PLVs, was **9,675**. |
| 8. | **Public Response/Outcome of the Programme**<br>(Short detail) | Public aware about different forms of Human Trafficking, the legal rights, rehabilitation & support system of victims of human trafficking. |
| 9. | **Social Media Publicity**<br>(Short detail) | Through facebook and Instagram. |
| 10. | **Newspaper/Electronic Media Coverage**<br>(Short detail) | Media coverage through Newspaper. |
| 11. | **Any Other Significant Information**<br>(Short detail) | ------- |

**BAGESHWAR** **CHAMOLI**

**CHAMPAWAT**

**DEHRADUN** **HARIDWAR**

**NAINITAL**

**PAURI GARHWAL**

**PITHORAGARH**

**RUDRAPRAYAG**

**TEHRI GARHWAL**

**UTTARKASHI**

दैनिक जागरण देहरादून, 31 जुलाई, 2026

समाचार सार

## मानव तस्करी के प्रति किया जागरूक

पुरोला में विश्व मानव तस्करी पर लोगों को जागरूक करते अधिकारी • जागरण

पुरोला : विश्व मानव तस्करी दिवस पर विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी ने गुरुवार को तहसील परिसर में जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर तहसीलदार कमल सिंह राठौर ने कहा कि मानव तस्करी एक जघन्य अपराध है, जिसके खिलाफ समाज के हर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। इस मौके पर पीएलवी दर्शन लाल, अरुण सिंह, अमित नेगी, सुरेन्द्र लाल, सोवेन्द्र, केशर नेगी, बिजेंद्र पंवार, श्रीदेव, अनिल एवं महेश आर्य आदि लोग मौजूद रहे।

## विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर छीनीगोठ में जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर में हुई बीपी, शुगर, हेपेटाइटिस व HIV जांच

मुरादाबाद न्यूज प्राइम
/विनोद जोशी

चम्पावत। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर ग्राम छीनीगोठ स्थित मल्ली छीनी पंचायत घर में व्यापक विधिक जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान इन्द्रदेव विश्वकर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को मानव तस्करी के खतरों, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों तथा कानूनी सहायता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्पावत के निर्देशन में आयोजित साक्षरता एवं विधिक जागरूकता शिविर में पीएलवी (अधिकार मित्रों) ने ग्रामीणों को बताया कि मानव तस्करी किस प्रकार बहला-फुसलाकर या लालच देकर की जाती है तथा महिलाओं और बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन शोषण किस तरह किया जाता है। साथ ही बाल श्रम, भीख मंगवाने, जबरन अपराध कराने, अवैध अंग व्यापार और देह व्यापार जैसे गंभीर अपराधों के प्रति लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया गया।

शिविर में महिला हेल्पलाइन 1090, 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा पुलिस हेल्पलाइन 112 की जानकारी देते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल शिकायत करने की अपील की गई।

कार्यक्रम के दौरान अपार संस्था के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों की ब्लड प्रेशर (बीपी), शुगर, हेपेटाइटिस और लक्वा की जांच की गई तथा आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया।

कार्यक्रम में पीएलवी अधिकार मित्र विजेंद्र अग्रवाल, सोनी सिंह, प्रियंका पंचोली, अनिल कुमार, सुनील कुमार तथा प्रो बोनो पीएलवी आशीष, रोहित, प्रीति, एलिश और स्वाति सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

**MEGA RALLY IN HARIDWAR**

## विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर विधिक जगरुकता रैली निकाली

**- डीपीएस के बच्चों ने किया प्रतिभाग**

**हरिद्वार (दैनिक हाक):** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 'विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस' के अवसर पर जनपद स्तर पर शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक व्यापक विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया।

रैली का शुभारंभ प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर व दिल्ली पब्लिक स्कूल, रानीपुर के प्रधानाचार्य डॉ अनुपम जग्गा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। यह रैली दिल्ली पब्लिक स्कूल से शुरू होकर स्वर्ण जयंती पार्क होते हुए, सेक्टर 4 पीठ बाजार होते हुए, सड़क मार्ग से वापस दिल्ली पब्लिक स्कूल में समाप्त हुई।

प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश नरेंद्र दत्त के आदेश पर आयोजित रैली में सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य समाज में मानव तस्करी के शिकार पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति संवेदनशीलता को बनाये रखना व उनके विधिक व संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित बनाना व इस गंभीर अपराध की रोकथाम के लिए, आमजन को जागरूक करना है। हमारा देश आजाद होने के बाद भी इस तरह की सामाजिक बुराई आज भी प्रचलित है जिसके निदान के लिए, हम सबको जागरूक व संवेदनशील होना आवश्यक है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉ जग्गा ने कहा कि इस तरह के अभियान व रैली करने से बच्चों व आम जनता को मानव तस्करी से संबंधित गंभीर अपराध के संबंध में जागरूक कर बचाया जा सकता है। परिवहन विभाग से अरूणा सैनी व उनकी टीम, पुलिस विभाग के पुलिसकर्मों, सी०डब्लू०सी० की सदस्य व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारीगण, दिल्ली पब्लिक स्कूल, शिवडेल पब्लिक स्कूल जगजीतपुर कनखल, पुलिस मॉडर्न स्कूल रोशनाबाद के छात्र-छात्राओं, तथा अध्यापकों, प्राधिकरण के एल०ए०डी०सी० अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता एवं अधिकार मित्र उपस्थित रहे।

वहीं दूसरी ओर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरजीत कौर ने वन स्टॉप सेंटर बहादराबाद के कार्यों की समीक्षा की गई। वहां पर प्राधिकरण की ओर से स्थापित विधिक सहायता हेल्प डेक्स का फीता काटकर विधिवत रूप से शुभारंभ किया तथा एक पैनल अधिवक्ता व अधिकार मित्र की ड्यूटी लगायी गयी। वन स्टॉप सेंटर के कार्यरत कर्मचारियों से वार्तालाप कर उनकी समस्या के समाधान हेतु उचित निस्तारण के लिए संबंधित फोरम में पत्राचार कर अपनी बात रखने का परामर्श दिया। इसके उपरांत गैस प्लांट पुलिस चौकी थाना रानीपुर में स्थापित लीगल ऐड क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया तथा वहां पर संबंधित पैनल अधिवक्ता व अधिकार मित्र के कार्यों की समीक्षा की गई और उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

बुधवार को ही प्राधिकरण की मासिक बैठक जिला न्यायालय के सभागार में जनपद न्यायाधीश/ प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र दत्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सदस्यगण जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी०एम०ओ०, जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल, फौजदारी, रेवेन्यू, व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रतिभाग किया तथा आगामी माह में होने वाली विधिक गतिविधियों की रूप रेखा तैयार की गई। बैठक के साथ पीड़ित प्रतिकर योजना व अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के तहत लाभार्थियों को आवश्यक लाभ उपलब्ध कराये जाने के लिए भी परिचर्चा की गयी। बैठक का संचालन प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने किया।

## मानव तस्करी विरोधी दिवस पर निकाली जागरूकता रैली

माई सिटी रिपोर्टर

हरिद्वार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बुधवार को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर जागरूकता रैली आयोजित की। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर निकाली गई रैली का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना था।

रैली का शुभारंभ प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर और दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य अनुपम जग्गा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली स्कूल से शुरू होकर स्वर्ण जयंती पार्क और सेक्टर चार पीठ बाजार होते हुए वापस पहुंची। सिमरनजीत

**विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर जागरुकता रैली**

कौर ने पीड़ितों के विधिक व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया, जबकि अनुपम जग्गा ने ऐसे अभियानों को जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण बताया।

रैली में परिवहन विभाग से अरुणा सैनी, पुलिसकर्मी, सीडब्ल्यूसी सदस्य, स्वास्थ्य कर्मचारी, छात्र-छात्राएं और शिक्षक शामिल रहे। इससे पहले सिमरनजीत कौर ने बहादराबाद स्थित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर प्राधिकरण की ओर से स्थापित विधिक सहायता हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया।

जागरूकता रैली निकालते डीपीएस के छात्र। स्रोत: कॉलेज

## दैनिक भास्कर

### विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस पर विद्यार्थियों को किया जागरूक

**विकासनगर।** उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति, विकासनगर एवं पैरा लीगल वालंटियर आयुष वर्मा द्वारा विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर गुरु नानक पब्लिक स्कूल, विकासनगर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मानव तस्करी की रोकथाम, महिला एवं बाल सुरक्षा, बाल श्रम निषेध, साइबर अपराधों से बचाव, निःशुल्क विधिक सहायता तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। वक्ताओं ने मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से सतर्क एवं जागरूक नागरिक बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी जाती मित्तल ने विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा न्याय तक समान पहुंच के विषय में जानकारी प्रदान की। एस.एस.आई. शिशु राणा ने साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस सहायता प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। प्रधानाचार्य बी.एस. राणा ने कहा कि विद्यार्थी यहां जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसे वे अपने परिवार तक जरूर पहुंचाएं। कार्यक्रम में पैरा लीगल वॉलंटियर आयुष वर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया से विद्यार्थियों को अवगत कराया।

### नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना जरूरी

जयन्त प्रतिनिधि। सतपुली : सतपुली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी के दिशा निर्देशन पर ठाकुर सुंदर सिंह चौहान वृद्ध आश्रम मलेठी में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मौजूद लोगों ने पेंशन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, घरेलू हिंसा सहित अन्य समस्याओं के बारे में बताया।

इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार श्रीमती सोनिया सहित अन्य लोगों ने फलदार वृक्षों का रोपण किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से आगे आने की अपील की। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर निस्तारण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को सुचित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय से वंचित न रहे। शिविर में आश्रम के प्रबंधक पुनीत रावत, विक्रम सिंह रावत, तेज सिंह, रईस अहमद आदि मौजूद थे।

### मानव तस्करी की जानकारी तत्काल दें

**पुरोला।** विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर तहसील परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के निर्देशानुसार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक करते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में तहसीलदार कमल सिंह राठौर ने कहा कि मानव तस्करी एक जघन्य अपराध है जिसकी रोकथाम के लिए समाज के प्रत्येक व् यक्ति की जागरूकता और सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को इस अपराध के प्रति जागरूक कर व समय रहते सूचना देकर मानव तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के तहत किया गया।

इस अवसर पर पीएलवी दर्शन लाल, अरुण सिंह, अमित नेगी, सुरेन्द्र लाल, सोवेन्द्र, केशर नेगी, बिजेन्द्र पंवार, श्रीदेव, अनिल खंडूड़ी, महेश आर्य आदि मौजूद रहे। संवाद

### मानव तस्करी के खिलाफ किया जागरूक

**पिथौरागढ़।** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जीजीआईसी मूनाकोट में मानव तस्करी विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। प्राधिकरण सचिव मंजू देवी ने कहा कि शिविर का उद्देश्य लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि लोग बच्चों से जुड़ी बाल श्रम, बंधक बनाने जाने, मानव तस्करी आदि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में दे सकते हैं। यहां उन्होंने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। संवाद

## विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर विशेष विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन

# मानवाधिकारों का सबसे बड़ा हनन है मानव तस्करी : सचिव

[illegible]

## तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किया जागरूक

[illegible]


# धारा न्यूज़

दिल्ली, लखनऊ, मेरठ व हरिद्वार से प्रकाशित

UTTHIN/2021/81621 ● डाक पंजीकरण संख्या: 186-2016-2018 ● ई-मेल: dharanews@gmail.com ● वेबसाइट: www.dharanews.com


## विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस पर विद्यार्थियों को किया विधिक रूप से जागरूक

धारा न्यूज, महेश रावत, विकासनगर

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति, विकासनगर एवं आयुष वर्मा द्वारा विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर गुरु नानक पब्लिक स्कूल, विकासनगर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मानव तस्करी की रोकथाम, महिला एवं बाल सुरक्षा, बाल श्रम निषेध, साइबर अपराधों से बचाव, निःशुल्क विधिक सहायता तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। वक्ताओं ने मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से सतर्क एवं जागरूक नागरिक बनने का आह्वान किया।

इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी जाली मित्तल ने विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा न्याय तक समान पहुँच के विषय में जानकारी प्रदान की। एस एस आई शिशु राणा ने साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस सहायता प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। विद्यालय के प्रधानाचार्य बी.एस. राणा ने विद्यार्थियों से प्राप्त जानकारी को अपने परिवार एवं समाज तक पहुँचाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में पैरा लीगल वॉलंटियर आयुष वर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया से विद्यार्थियों को अवगत कराया।

# विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर विधिक जगरुकता रैली निकाली

**– डीपीएस के बच्चों ने किया प्रतिभाग**

**हरिद्वार (दैनिक हाक):** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 'विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस' के अवसर पर जनपद स्तर पर शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक व्यापक विधि क जागरूकता रैली का आयोजन किया।

रैली का शुभारंभ प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर व दिल्ली पब्लिक स्कूल, रानीपुर के प्रधानाचार्य डॉ अनुपम जग्गा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। यह रैली दिल्ली पब्लिक स्कूल से शुरू होकर स्वर्ण जयंती पार्क होते हुए, सेक्टर 4 पीठ बाजार होते हुए, सड़क मार्ग से वापस दिल्ली पब्लिक स्कूल में समाप्त हुई।

प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश नरेंद्र दत्त के आदेश पर आयोजित रैली में सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य समाज में मानव तस्करी के शिकार पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति संवेदनशीलता को बनाये रखना व उनके विधिक व संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित बनाना व इस गंभीर अपराध की रोकथाम के लिए, आमजन को जागरूक करना है। हमारा देश आजाद होने के बाद भी इस तरह की सामाजिक बुराई आज भी प्रचलित है जिसके निदान के लिए, हम सबको जागरूक व संवेदनशील होना आवश्यक है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉ जग्गा ने कहा कि इस तरह के अभियान व रैली करने से बच्चों व आम जनता को मानव तस्करी से संबंधित गंभीर अपराध

के संबंध में जागरूक कर बचाया जा सकता है। परिवहन विभाग से अरूणा सैनी व उनकी टीम, पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी, सी०डब्लू०सी० की सदस्य व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारीगण, दिल्ली पब्लिक स्कूल, शिवडेल पब्लिक स्कूल जगजीतपुर कनखल, पुलिस मॉडर्न स्कूल रोशनाबाद के छात्र-छात्राओं, तथा अध्यापकों, प्राधिकरण के एल०ए०डी०सी० अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता एवं अधिकार मित्र उपस्थित रहे।

वहीं दूसरी ओर जिला विधि क सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरजीत कौर ने वन स्टॉप सेंटर बहादराबाद के कार्यों की समीक्षा की गई। वहां पर प्राधिकरण की ओर से स्थापित विधिक सहायता हेल्प डेक्स का फीता काटकर विधि वत रूप से शुभारंभ किया तथा एक पैनल अधिवक्ता व अधिकार मित्र की ड्यूटी लगायी गयी। वन स्टॉप सेंटर के कार्यरत कर्मचारियों से वार्तालाप कर उनकी समस्या के समाधान हेतु उचित निस्तारण के लिए संबंधित फोरम में पत्राचार कर अपनी बात रखने का परामर्श दिया। इसके उपरांत गैस प्लांट पुलिस चौकी थाना रानीपुर में स्थापित लीगल ऐड क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया तथा वहां पर संबंधित पैनल अधि वक्ता व अधिकार मित्र के कार्यों की समीक्षा की गई और उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

बुधवार को ही प्राधिकरण की मासिक बैठक जिला न्यायालय के सभागार में जनपद न्यायाध ीश/ प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र दत्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सदस्यगण जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी०एम०ओ०, जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल, फौजदारी, रेवेन्यू, व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रतिभाग किया तथा आगामी माह में होने वाली विधिक गतिविधियों की रूप रेखा तैयार की गई। बैठक के साथ पीड़ित प्रतिकर योजना व अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के तहत लाभार्थियों को आवश्यक लाभ उपलब्ध कराये जाने के लिए भी परिचर्चा की गयी। बैठक का संचालन प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने किया।

# Miscellaneous Programmes & Activities

## अधिवक्ताओं के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

## निरीक्षण में मिलीं खामियां, चार मेडिकल स्टोर होंगे बंद

## आपदा पीड़ितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने को दिया प्रशिक्षण

रुद्रप्रयाग,(उ.प्रहरी ब्यूरो)। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह की अध्यक्षता

में जिला आपदा परिचालन केंद्र (ईओसी) रुद्रप्रयाग में '"आपदा पीड़तों को विधिक सहायता"' विषय पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा प्रभावित लोगों को समयबद्ध राहत, पुनर्वास एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच समन्वय को मजबूत करना था।

सचिव पायल सिंह ने ईओसी का निरीक्षण कर आपदा निगरानी व्यवस्था की जानकारी ली और आधुनिक तकनीक के उपयोग की सराहना की।

## विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति से होंगे विवादों का निस्तारण:कलीम

- 21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में आयोजित होगा 'समाधान समारोह-2026', प्री-लोक अदालत बैठकों के माध्यम से पक्षकारों को किया जा रहा जागरूक

अमर हिन्दुस्तान

पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल की सचिव एवं सिविल जज नाज़िश कलीम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21, 22 एवं 23 अगस्त, 2026 को 'समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत)-2026' का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को शीघ्र, सरल और प्रभावी न्याय मिल सके।

उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक मामलों के निस्तारण के उद्देश्य से मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में संबंधित पक्षकारों के साथ छठी प्री-लोक अदालत बैठक आयोजित की गई। बैठक में पक्षकारों को लोक अदालत की प्रक्रिया, उद्देश्य तथा इसके लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई।सचिव ने कहा कि लोक अदालत विवादों के समाधान का एक प्रभावी मंच है, जहां आपसी सहमति से मामलों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में निस्तारण संभव होता है। इससे न्यायालयों पर लंबित मामलों का भार कम होने के साथ-साथ पक्षकारों के समय और संसाधनों की भी बचत होती है तथा आपसी संबंधों में सौहार्द बना रहता है।

उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत से पूर्व राज्य, जिला, तहसील एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केंद्रों में लगातार सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने पात्र पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं आपसी सहमति से समाधान कराने की अपील की।बैठक में डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल महेश बलूनी तथा रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत ने भी विशेष लोक अदालत की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए पक्षकारों को सुलह के माध्यम से विवादों का निस्तारण कराने के लिए प्रेरित किया।

## महिलाओं को पॉश अधिनियम और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वावधान तथा जनपद न्यायाधीश सिकंदर कुमार त्यागी के निर्देशन में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर की सचिव एवं सिविल जज ममता पंत ने जनसंख्या स्थिरीकरण के लाभ, महिलाओं के अधिकार तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ममता पंत ने कहा कि प्रत्येक महिला को सम्मानजनक और सुरक्षित कार्यस्थल

पर कार्य करने का अधिकार है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार, अशोभनीय इशारे या अनुचित आचरण किया जाता है तो वह बिना किसी संकोच के पॉश समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है। कार्यक्रम में पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं तथा नालसा हेल्पलाइन 15100 की जानकारी देते हुए जरूरतमंद लोगों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर एचआर हेड विनीत कुमार, एचआर अनुदीप राह, एचआर चंचल तथा कंपनी की बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी उपस्थित रहीं।

दैनिक ग्राम्य गाथा | उत्तरकाशी | उत्तरकाशी: बुधवार 22 जुलाई 2026 | 2

## जेनेरिक दवाएं अपनाएं, अवसान दवाओं का करें सुरक्षित निस्तारण: डीएलएसए

- डोर-टू-डोर अभियान चलाकर जेनेरिक दवाओं के प्रति किया जागरूक
- मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण, एक्सपायर्ड दवाओं के सुरक्षित निस्तारण के दिए निर्देश